संक्षिप्त परिपत्र

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, योजनाएं एवं बजट आवंटन : एक अध्ययन

अप्रैल 2019

बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र ट्रस्ट, जयपुर
(Budget Analysis and Research Center Trust, Jaipur)
ईमेल : barctrust@gmail.com वेबसाइट : www.barctrust.org

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति, योजनाएं एवं बजट आवंटनः एक अध्ययन

भारत एक संवैधानिक राष्ट्र होने के साथ–साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी है। देश में धर्म, भाषा, संस्कृति को अपनाने वाले लोगो की संख्या के आधार पर बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो देश में हिन्दू धर्म बहुसंख्यक वर्ग है, और सभी धर्मों के लोग अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के अनुसार मुस्लिम, सिक्ख, ईसाईं, बौद्ध एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोग हिन्दू धर्म से हैं, 14.2 प्रतिशत लोग मुस्लिम, और 2.3 प्रतिशत, 1.72 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत एवं 0.37 प्रतिशत लोग क्रमशः इसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं जैन धर्म से हैं।

राजस्थान में अल्पसंख्यकों की स्थिति :

राजस्थान की जनसंख्या (वर्ष 2011से) 6.85 करोड़ है, जिसमे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग 11. 41 प्रतिशत अर्थात् 78.18 लाख हैं। राज्य में मुस्लिम 62.15 लाख (9.07 प्रतिशत) हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.14 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 17.91 मुस्लिम निवास करते हैं।

मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का स्तर : 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में साक्षरता दर समस्त वर्गों में सबसे कम है और महिलाओं में तो स्थिति काफी चिंताजनक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर 68.5 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्गों में 74 प्रतिशत हैं। तथा राज्य में मुस्लिम समुदाय में 2001 में साक्षरता दर 56.6 प्रतिशत थी जबकि राज्य की औसत साक्षरता 60.04 प्रतिशत थी, 2001 में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत थी, जबकि राज्य में महिला साक्षरता दर 43.9 प्रतिशत थी 2011 के अनुसार साक्षरता के आंकड़े धार्मिक समूहवार उपलब्ध नहीं है।

तालिका–1 : मुस्लिम समुदाय में साक्षरता एवं लिंगानुपात की स्थिति(आंकड़े प्रतिशत में)

साक्षरता दर/ लिंग अनुपात	2001				2011	
	भारत		श्राजस्थान		भारत	
	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम	समस्त वर्ग	मुस्लिम
साक्षरता दर (सम्पूर्ण)	64.83	59.1	60.4	56.6	74.04	68.5
साक्षरता दर (पुरुष)	75.26	67.6	75.7	71.4	82.14	74.7
साक्षरता दर (महिला)	53.67	50.1	43.9	40.8	65.56	62
लिंग अनुपात (सम्पूर्ण)	933	936	921	929	943	951

स्रोतः जनगणना–2001 व 2011

राष्ट्रीय तथा राज्य के औसत लिंगानुपात की तुलना में मुस्लिम समुदय में लिंगानुपात काफी बेहतर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों मे लिंगानुपात 943 है जबकि मुस्लिम में यह 951 है। राजस्थान में 2001 के आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात 929 जबकि राज्य औसत में यह 921 था।

स्कूल के बाहर बच्चें :– आईएमआरबी (IMRB) के द्वारा किये गए एक अधययन के अनुसार देश में 6 से 13 वर्ष के आयु के बच्चों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे 2.97 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2014 में इसी आयु वर्ग के मुस्लिम बच्चों में इसका 4.43 प्रतिशत था यह प्रतिशत अनुसूचित जाति SC (3.24 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति ST (4.20 प्रतिशत) समुदाय के बच्चों से अधिक है। इसी प्रकार राजस्थान में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 5.02 प्रतिशत है जबकि राज्य में मुस्लिम समुदाय में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का प्रतिशत 6.85 प्रतिशत (2014) है जो कि सबसे अधिक है।

बीच में पढाई छोड़ने वाले बच्चें :– मुस्लिम समुदाय में पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी गंभीर समस्या है। तालिका–2 में दिए हुए आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लड़के और लड़कियों दोनों ही बड़े स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। 2013–14 से 2014–15 के बीच सेकेंडरी स्तर पर कुल ड्रॉपआउट 23.66 प्रतिशत से बढ़कर 24.12 प्रतिशत हो गया है।

तालिका –2 : राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय में ड्रॉपआउट दर (प्रतिशत में)

	2013–14			2014–15 (आंकड़े प्रतिशत में)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
सैकेंडरी लेवल	24.06	23.27	23.66	24.71	23.58	24.12
हायर सैकेंडरी लेवल	6.40	4.00	5.19	8.55	6.29	7.40

स्रोतः श्रीमती किरण खेर द्वारा लोकसभा में दिनांक 27/12/2017 को पूछे गये प्रश्न संख्या–1472 के जबाब में श्री मुख्तार अब्बास नकवी (मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े : http%//164-100-47-190/loksabhaquestions/annex/13/AU1472-pdf

इससे जाहिर है कि उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष व महिलाओं का नामांकन दूसरे वर्गों की अपेक्षा काफी कम है। तालिका–3 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में उच्च शिक्षा में हुए सभी नामांकन में मुसलमानों की भागीदारी केवल 1.68 प्रतिशत है।

तालिका– 3 विभिन्न स्कूल स्तर पर सामाजिक समूहों द्वारा नामांकन

सामाजिक समूह/ विभिन्न स्कूल स्तर	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
अनुसूचित जाति	18	17.43	15.71	13.61
अनुसूचित जनजाति	10.76	8..69	7.48	6.1
टोबीसी	40.2	40.89	40.77	37.28
शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय EBMC (मुस्लिम)	10.08	8.96	7.84	6.55
अन्य	20.96	24.03	28.19	36.46

स्रोतः आठवां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018–19

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि बढ़ते हुए विद्यालय शिक्षा नामांकन में वंचित समूहों के बच्चों की भागीदारी कम जाती है। अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार प्राथमिक स्तर के कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी 10.08 प्रतिशत रही है जबकि मुस्लिम समुदाय के बच्चों की भागीदारी उच्च माध्यमिक स्तर पर घटकर 6.55 प्रतिशत रह गयी है। इससे कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा के कुल नामांकन में मुसलमानों की हिस्सेदारी वास्तव में बहुत कम है।

तालिका– 4: राजस्थान में उच्च शिक्षा में मुस्लिम समुदाय का नामांकन 2018–19

वर्ष	समस्त वर्ग			मुस्लिम समुदाय			कुल नामांकन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2015–16	992153	969307	1761460	19657	13301	32958	1.98	1.37	1.87
2016–17	994972	813479	1808451	19885	13909	33794	2.00	1.71	1.87
2017–18	1054511	881693	1936204	22280	16276	38556	2.11	1.85	1.99
2018–19	1082466	1001947	2084413	26100	18258	44358	2.41	1.82	2.13

स्रोतः उच्चतर शिक्षा संबधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, 2018–19

राजस्थान में अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम एवं बजट :

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया गया। इस विभाग का गठन अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, उनकी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु किया गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट आवंटन मुख्य शीर्ष 2202, 2225, 2250, 4225, 6225 के अंतर्गत होता है। नीचे दी गई सारणी में विगत पांच वर्षों में विभाग के लिए आवंटित बजट का विवरण दिया गया है।

तालिका–5 : राज्य में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का बजट (करोड़ रू. में)

वर्ष		कुल राज्य बजट*	अल्पसंख्यक विभाग का बजट	राज्य बजट में प्रतिशत
2015–16	बजट अनुमान	137713.38	102.14	0.07
	संशोधित अनुमान	137455.78	109.62	0.08
	वास्तविक व्यय	129736.02	97.01	0.07
2016–17	बजट अनुमान	151127.75	155.47	0.10
	संशोधित अनुमान	148506.69	155.71	0.10
	वास्तविक व्यय	139727.68	141.55	0.10
2017–18	बजट अनुमान	166753.9	166.49	0.10
	संशोधित अनुमान	175615.12	154.37	0.09
	वास्तविक व्यय	164472.47	129.02	0.08
2018–19	बजट अनुमान	197274.66	180.60	0.09
	संशोधित अनुमान	197258.89	164.98	0.08
2019–20	बजट अनुमान	218222.05	165.58	0.08

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार, *राज्य का कुल बजट उदय रहित है।

ऊपर दी गई तालिका में पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिये आवंटित राशि का राज्य के कुल बजट में अनुपात दिखाया गया है जिससे यह चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है कि पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक मामलात विभाग का कुल बजट राज्य के कुल बजट के करीब 1 प्रतिशत रहा है। राज्य में अल्पसंख्यक विभाग का बजट बहुत कम है । लेकिन इसके साथ ही एक बडी समस्या विभाग को उपलब्ध बजट का पूरा उपयोग नहीं होना भी है । श्री बदरुद्दीन अजमल द्वारा लोकसभा में पूछे गए प्रश्न के जबाब के अनुसार 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान राज्य को अल्पसंख्यक कल्याण के लिये दिये गये कुल बजट 97.21 करोड़ रूपये का केवल 47 प्रतिशत ही उपयोग हो सका।

वर्ष 2018–19 के बजट में अल्पसंख्यक विभाग के लिए आवंटित बजट 180 करोड़ रूपये था जो राज्य के कुल बजट का मात्र 0.09 प्रतिशत था। हांलाकि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में इस विभाग के बजट

में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। लेकिन वर्ष 2019–20 के बजट में इस विभाग का बजट घटाकर 165.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विभाग द्वारा उपलब्ध बजट का उपयोग नहीं करने का एक बडा कारण इस विभाग में स्वीकृत पदों का रिक्त होना भी है ।

तालिकाः 6 : राजस्थान में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की स्थिति

विभाग	सृजित पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
निदेशालय स्तर	66	10	15
जिला स्तर (समस्त 33 जिले)	303	80	26.40
मदरसा बोर्ड	36	18	50
मदरसों में शिक्षा सहयोगी	8619	2747	31.87
कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	2664	89
अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम	22	15	73
कुल पद	12046	5534	45.94

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2018–19

तालिका–6 में दिए गये आंकड़े बताते हैं कि अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न विभागों में करीब 45.94 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य योजनाएं एवं बजट :

राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर को ऊँचा करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बंधित योजनाओं के बजट का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिकाः 7 : राजस्थान में अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनायें तथा उनका बजट (करोड़ रु. में)

योजनाएं	बजट अनुमान 2017–18	वास्तविक व्यय 2017–18	बजट अनुमान 2018–19	संशोधित अनुमान 2018–19	बजट अनुमान 2019–20
बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम**	56.49	55.33	62.13	61.18	61.24
पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	45.21	0	45.21	0.0001	0.0001
मैरिट कम मीन्स छात्रवृति योजना	0.08	0.0072	0.09	0.08	0.05
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	0.15	0.094	0.17	0.15	0.17
मदरसा स्कूल	73.35	47.43	80.19	73.19	65.35
मदरसा बोर्ड	1.90	1.45	2.09	2.09	1.97
अनुप्रति योजना	0.30	0.0070	0.30	0.20	0.30
अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	5	0.63	4	1.02	4.17
अल्पसंख्यक बालक छात्रावासों का संचालन	2.86	1.95	2.39	2.07	2.28
अल्पसंख्यक कन्या छात्रावासों का संचालन	1.63	1.33	1.84	1.51	1.72
कौशल विकास प्रशिक्षण योजना	2	2	2	1	2

स्रोतः बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार

तालिका 7 के आंकडों से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक विभाग की सबसे महत्वपूर्ण योजना बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बजट में इस वर्ष करीब एक करोड़ रुपये की कटौती की गई है। अल्पसंख्यकों के लिये छात्रावास भवन मद के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में बजट आवंटन (6.63 करोड़ रु) की तुलना में वास्तविक व्यय (1.95

करोड़ रु) काफी कम रहा है। वर्ष 2019–20 में अल्पसंख्यक श्रेणी के बालक–बालिकाओं के लिए चल रही पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवंटित बजट शून्य है। क्योंकि वर्ष 2015–16 से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2015–16 से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा राशि पहले राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाती थी और फिर राज्य सरकार द्वारा राशि को लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित किया जाता था। वर्ष 2017–18 में अनुप्रति योजना के बजट अनुमान (0.30 करोड़) के विपरीत वास्तविक व्यय 3.33 प्रतिशत ही रहा है।

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम : प्रधानमंत्री पंद्रह सूत्री कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों की कई योजनाओं को कवर करते हुए एक व्याापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ से वंचित लोगों तक पहुँचे।

- शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना– (1) एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता। (2) विद्यालय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना। (3) उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन (4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (5) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति (6) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानों के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना।
- आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में समुचित हिस्सेदारी – (7) गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना। (8) तकनिकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन (9) आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृदि ऋण योजना (10) राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती।
- अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर की दशा में सुधार करना– (11) ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी (12) अल्पसंख्यक समुदाय वाली मलिन बस्तियों/क्षेत्रों की स्थिति सुधार
- सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम व नियंत्रण– (13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम (14) साम्प्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन (15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास

प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के 24 कार्यक्रम शामिल हैं। इन 24 कार्यक्रमों का 15 प्रतिशत लक्ष्य और बजट अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। हांलाकि इस कार्यक्रम की निगरानी बैठक होती रहती लेकिन 15 प्रतिशत लक्ष्य कम ही योजनाओं में पूरा हो पाता है। राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि (2014–15 से 2018–19 तक) परिशिष्ट तालिका 1 में दी गई है।

बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) /प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम : बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरु की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है यह एक क्षेत्र विकास पहल है, जिसे सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों की विकास सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। जिसे वर्ष 2008–09 में देश के 90 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों (एससीडी) में आरम्भ किया गया था। राजस्थान में यह योजना 08 जिलों के 10 ब्लॉक्स एवं 03 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों में लागू की गई है ।

दिनांक 1, अप्रैल 2018 से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" कर दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्षेत्रीय विस्तार कर 16 जिलों के 02 जिला मुख्यालयों, 15 ब्लॉकों तथा 17 कस्बों को शामिल किया गया है। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक भौतिक स्थिति परिशिष्ट तालिका 2अ तथा 2ब में दी गई है। इसे देखने से मालूम होता है कि कार्यक्रम में शामिल सभी क्षेत्रों में से शिक्षा के क्षेत्र (अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण) में सबसे अधिक कार्य किये गये हैं। जबकि इसके विपरीत स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे कम काम किये गये हैं।

मदरसा बोर्ड तथा मदरसा स्कूल :– वर्तमान वर्ष में मदरसा बोर्ड एवं मदरसा स्कूल का बजट 67.31 करोड़ रु है। जिसमे मदरसा स्कूल का बजट 65.35 करोड़ रु है तथा मदरसा बोर्ड का बजट 1.96 करोड़ रु है। मदरसा बोर्ड तथा मदरसा स्कूल द्वारा मुख्यतः तीन योजना चलायी जा रही है जो निम्न है:–

1. **मदरसों में अध्यापन कार्य करवाने हेतु संविदा पर शिक्षा सहयोगियों का चयन कर उपलब्ध करवाना :–** बोर्ड द्वारा मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हेतु शिक्षा सहयोगियों का चयन कर मदरसों को उपलब्ध करवाए जाते है। जिनका मानदेय भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाता है बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की सूचना निम्नानुसार है :–

तालिका–: 8: मदरसों में शिक्षा सहयोगियों की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
1.	उर्दू शिक्षा सहयोगी	8619	5872	2747	37.87
2.	कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी	3000	336	2664	88.8

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19, अल्पसंख्यक मामलात विभाग

2. **मदरसा जन सहभागिता योजना :–** राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मदरसों के आधारभूत संरचना के विकास में जन–सहयोग के साथ कार्य करने के उद्देश्य से वर्ष 2017–18 के बजट में मदरसा जन सहभागिता योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराइ जाएगी।

वर्ष 2017–18 में योजना के अंतर्गत 21 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमे से 16 प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 144.17 लाख रुपये जारी की जा चुकी है।

3. **मुख्यमंत्री आदर्श मदरसा योजना :–**राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मदरसों को आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत 500 मदरसों को मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या – 113 (वर्ष 2018–19) में लाभ दिया है। उक्त मदरसों में 260 मदरसों का गठित कमेठी द्वारा चयन किया गया है।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (एनएमडीएएफसी): राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की स्थापना राजस्थान सरकार व भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यकों के गरीब व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 81000 रु व शहरी क्षेत्रों में 103000 रु से कम हो, को स्वरोजगार एवं कार्यक्षमता उन्नयन हेतु रियायती ब्याज दर (6 प्रतिशत व्यवसायिक ऋण एवं 3 प्रतिशत शिक्षा ऋण हेतु) पर स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत व्यवसायिक ऋण एवं शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु की गयी है।

तालिका–: 9: राज्य में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को स्व–रोजगार और आय सृजित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण(राशि करोड़ रु.में)

वर्ष	2015–16		2016–17		2017–18		2018–19*		कुल	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
राजस्थान	24	4121	18.02	2284	14.52	1475	5.41	466	61.94	8346

स्रोतः वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, 2018–19, * दिसम्बर, 2018–19

तालिका–9 में दिए गये आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 2015–16 से 2018–19 तक कुल 8346 लाभर्थियों को लाभ पहुंचा है जिन पर इस समयावधि में मात्र 61.94 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की गयी है। इस धनराशि को बढ़ाये जाने की जरूरत है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को संस्थागत ऋण में बढोत्तरी हो सके और वह अपना रोजगार आरम्भ कर सके।

बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र द्वारा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय के उपर कार्य कर रहे समुदाय के लोगो, विशेषज्ञों, संस्थाओं के साथ बैठकों का आयोजन किया गया जिसमे राजस्थान में

अल्पसंख्यकों की स्थिति, उनसे संबधित योजनाओं एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी। बैठकों में मुख्य तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, रोजगार, जेंडर तथा मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गयी।

- ❖ अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत से भी कम है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना है। इसमें बढ़ोत्तरी की जाए।
- ❖ अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। 20 सूत्री कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम के निगरानी हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।
- ❖ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुधार कर मजबूत किया जाये। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी मिल सके, इसके लिये पर्याप्त उपाय किये जाने चाहिये।
- ❖ मदरसों की स्थितियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक किया जाये। मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की भारी कमी है सरकार को मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाए जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। मदरसों में अध्यापकों की कमी है और उनको मिलने वाला वेतन बहुत कम है, योग्य– मदरसा शिक्षको की शीघ्र–अति–शीघ्र नियुक्ति की जाये। इसके अलावा मदरसों में आधारभूत संरचनाओं की भी भारी कमी है, मदरसों में शौचालयों की स्थिति बड़ी चिंताजनक है इसका सीधा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। मदरसा–विद्यालयों की अकादमिक सहायता एवं निगरानी की प्रकिया बनाई जाये।
- ❖ सरकार द्वारा चलायी जा रही अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति योजना के अंतर्गत छात्र सीमा को हटा कर सभी अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृति का लाभ मिलना चाहिये।
- ❖ अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग हेतु छात्रवृत्ति आदि योजनाओं का व्यवस्थित क्रियांवयन नहीं होने के परिणामस्वरुप समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों के फ्री– कोचिंग के लिए सरकार द्वारा राज्य की अच्छे कोचिंग संस्थाओं की एक सूची तैयार की जाये और फिर उसमें अल्पसंख्यक छात्रों को दाखिले दिलवाए जाये। फ्री– कोचिंग के लिए जो सुविधा एस.सी. तथा एस.टी. के छात्रों को दी जाती है वही सुविधा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाये।
- ❖ राज्य में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यवस्थित नीति के अभाव में उर्दू शिक्षकों की भारी कमी के कारण इस विषय के अध्ययन से छात्र वंचित हो रहे हैं। अतः राज्य के विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को तथा अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विभागों में समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए ताकि कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके।
- ❖ केंद सरकार की घुमंतू सूची में कलंदर, मीरासी, फकीर जातियां भी घुमंतू जाति में आती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की घुमंतू जाति की सूची में इनका नाम नहीं है। सरकार द्वारा इनका नाम भी घुमंतू जाति की सूची में जोड़ा जाये। जिससे की घुमंतू जाति के वंचित लोग सरकार द्वारा चालायी जा रही योजनाओं का लाभ उठा सकें ।
- ❖ साम्प्रदायिकता का बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। आजकल खासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति साम्प्रदायिकता का माहौल बना हुआ है। इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि समाज में अमन व शांति बनी रहे।

परिशिष्ट तालिका

तालिका–1 : राज्य में चल रहे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि (2014–15 से 2018–19 तक)

योजना/वर्ष	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19 (30.06.2018 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
एसएसए के तहत निर्मित अतिरिक्त कक्षों की संख्या	43	43	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		0.00	0.00	–	–	–	–
सोशल मोबिलाइजेशन –DAY-NRLM के अंतर्गत प्रोत्साहित अल्पसंख्यक SHGs	1571	28	824	726	1616	420	1764	453	2600	64
DAY-NRLM के अंतर्गत चक्रीय निधि प्राप्त अल्पसंख्यक SHGs	754	26	0.00	64	1389	29	1448	141	2054	8
अल्पसंख्यक SHGs को प्राप्त चक्रीय निधि **(राशि – करोड़ में)**	1.13	0.04	0.00	0.096	2.08	0.04	2.17	0.21	3.08	0.012
DAY-NRLM के तहत सामुदायिक निवेश सहायता राशि प्राप्त SHGs **(राशि – करोड़ में)**	2.15	0.018	4.4	0.077	5.8	0.187	11.99	0.81	8.76	0.005
DAY-NRLM के तहत सामुदायिक निवेश सहायता राशि प्राप्त SHGs की संख्या	429	12	330	7	525	17	1091	74	1752	1
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामी.ा) के तहत अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत घरों की संख्या	7266	1347	5988	1035	19882	10919	17766	11869	0	4977
डीएवाई–एनयूएलएम के तहत गठित स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या	2643	1610	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं	5196	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		–	–
DAY-NULM के तहत कौशल प्रशिक्षित अल्पसंख्यक लाभार्थियों का प्लेसमेंट	825	0.00	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं			0	राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है		–	–
DAY-NULM के तहत व्यक्तिगत और समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या**(राशि – करोड़ में)**	390	4				612			–	–
विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त VTIP के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में आईटीआई का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में उन्नयन	0.200	0	0	0	0	0	–	–	–	–

स्रोतः –http://www.minorityaffairs.gov.in/schemes-covered-under-prime-ministers-new-15-point-programme-welfare-minorities

तालिका–2.अ : वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक जिलेवार बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की भौतिक स्थिति (राशि–लाख में)

जिला/वर्ष/क्षेत्र (राशि लाख में)		आंगनवाडी	अति. कक्षा कक्ष निर्माण	कंप्यूटर कक्ष निर्माण	साइबर लैब निर्माण	उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	नर्सिंग कोलेज निर्माण	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण	बालिका शौच. एवं अंडर ग्राउंड वाटर टैंक
अलवर	2013-14	–	–	–	–	–	5(665)	2(800)	–	–
	2014-15	–	–	–	–		7(803)	–	–	–
	2015-16	–	72(747.5)	–	–	4(88)	–	–	–	–
	2016-17	1(22)	161(1198.9)	–	–	14(308)	1(180)	–	–	–
	2017-18	–	273(2033.35)	–	–	–	–	–	–	–
भरतपुर	2013-14	45(202.5)	85(426.9)	–	–	18(396)	2(266)	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–		–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	2(266)	–	–	–	–
	2016-17	21(94.5)	114(827.55)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बाड़मेर	2013-14	7(31.5)	6(60)	–	–	–	–	–	–	–

	2014-15	–	1(8.57)	1(10)	–	–	1(133)	–	1(100)	–
	2015-16	–	41(253)	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	4(18)	61(340.35)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हनुमानगढ़	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16		64(643.2)	24(326.8)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	10(45)	26(261.3)	1(13.2)	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	40(200)	–	–	–	–	–	–	–
जैसलमेर	2013-14	10(45)	–	–	–	5(110)	–	–	–	–
	2014-15	–	–	6(69.24)	–	14(308)	3(15)	–	–	–
	2015-16	17(93.5)	50(384.2)	7(92.4)	6(70.32)	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागौर	2013-14	–	5(41)	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	15(105.3)	3(39.6)	–	–		–	–	–
	2016-17	–		–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	10(100.5)	–	–	–	–	–	–	–
सवाईमाधोपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	18(90)	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
टोंक	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	58(764.86)	–	–	–	–	–	–	102(641.3)

स्रोतः –वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान, 2017–18

नोटः –( ) कोष्ठक के बाहर के आंकड़े किये गए कुल कार्यों को दर्शाते हैं तथा कोष्ठक के अन्दर के आंकड़े किये गए कार्यों में खर्च राशि को दर्शाते है।

तालिका–2.ब : वर्ष 2013–14 से 2017–18 तक जिलेवार बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की भौतिक स्थिति (राशि–लाख रु. में)

जिला/वर्ष/क्षेत्र (राशि लाख में)		आई.टी.आई. भवन निर्माण	बालिका छात्रावास	बालक छात्रावास	राजकीय कोलेज निर्माण	वोकेशनल लैब निर्माण	सामुदायिक हॉल निर्माण	आई.सी टी. लैब निर्माण	साइंस लैब निर्माण	कंप्यूटर, आर्ट, क्राफ्ट कक्ष निर्माण
अलवर	2013-14	–	–	–		–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	1(403)	–	–	–	–	–
	2015-16	–	4(762.44)	3(571.83)	1(461.3)	20(290.6)	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	19(276.07)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	1(309.6)	55(552.2)	–	–
भरतपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	1(190.61)	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	6(87.8)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बाड़मेर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	2(29.6)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हनुमानगढ़	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	1(392.79)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	–	–	–	–	6(87.18)	–	–	–	–

	2016-17	–	–	–	–	–	2(120.4)	–	–	107(1111.61)
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जैसलमेर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	1(190.61)	1(190.61)	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	12(174.36)	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागौर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सवाईमाधोपुर	2013-14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(500)	–	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	4(58.12)	–	–	–	5(51.2)
	2017-18	–	–	–	–	–	1(84)	–	–	
टोंक	2013-14		–	–	–	–	–	–	–	–
	2014-15		–	–	–	–	–	–	–	–
	2015-16	1(498.83)	1(338)	–	–	–	–	–	–	–
	2016-17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2017-18	–	–	–	–	–	–	–	102(641.3)	–

स्रोतः –वार्षिक प्रतिवेदन, अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान, 2017–18